राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला सोमवार, 22 फरवरी, 2010/3 फाल्गुन, 1931

हिमाचल प्रदेश सरकार

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 15 फरवरी, 2010

संख्या एफ.डी.एस.–ए(3)–3/2007.––हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, खाद्य, नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता मामले विभाग में सहायक पंजीयक वर्ग–I (राजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध–''क'' के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं; अर्थातः––

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.––(1) इन नियमों का सक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, सहायक पंजीयक, वर्ग–I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2010 है।

(2) ये नियम राजपत्र हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किये जाने की तारीख से प्रवृत होंगे।

आदेश द्वारा,
अनिल खाची,
सचिव।

उपाबन्ध–''क''

हिमाचल प्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में सहायक पंजीयक, वर्ग–I (राजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम

1. **पद का नाम.––** सहायक पंजीयक ।
2. **पद (पदों) की संख्या.––**01 (एक) ।
3. **वर्गीकरण.––**वर्ग–I (राजपत्रित) (लिपिक वर्गीय सेवाएं) ।
4. **वेतनमानत्र.––**7880–220–8100–275–10300–340–11660 रुपए।
5. **चयन पद अथवा अचयन पद.––**चयन।
6. **सीधे भर्ती के लिए आयु.––**लागू नहीं।
7. **सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं.––(क) अनिवार्य अर्हताए.––**लागू नहीं।

(ख) वांछनीय अर्हता.––लागू नहीं।

8. **सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं.––आयु.––**लागू नहीं।

शैक्षिक अर्हताएं.––लागू नहीं।

9. **परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.––**दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दें।

10. **भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानातरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता.––**शत प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा।

11. **प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानातरण की दशा में वे श्रेणियां(ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानांतरण किया जाएगा.––**अधीक्षक वर्ग–I, निजी सचिव व रीडर (राज्य उपभोक्ता आयोग) में से जिनका तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल हो।

प्रोन्नति के प्रयोजन के लिये पात्र पदधारियों अधीक्षक ग्रेड–I, निजी सचिव और रीडर (राज्य उपभोक्ता आयोग) की उनकी पारस्परिक वरिष्ठता को छेड़े बिना एक संयुक्त वरिष्ठता सूची तैयार की जायेगी ।

(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक)पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/ प्रोन्नति, भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रकिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी :

परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने–अपने प्रवर्ग/पद/काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय सभी कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे।

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी :

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे।

स्पष्टीकरण.––अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसे डिमोबीलाईज्ड आर्मड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन आफ

वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नान–टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1972 के नियम–3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स सर्वीसमैन (रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1985 के नियम–3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों।

(2) इसी प्रकार स्थाईकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व की सम्भरक पोषक पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति / प्रोन्नति, उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी :

परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थाईकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना.––जैसी सरकार द्वारा समय–समय पर गठित की जाए ।

13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.––जैसा विधि द्वारा अपेक्षित है।

14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षाएं.––लागू नहीं।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.––लागू नहीं।

16. आरक्षण.––सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय–समय पर अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों / अन्य पिछड़े वर्गों / अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी आदेशों के अधीन होगी।

17. विभागीय परीक्षा.––सेवा में प्रत्येक सदस्य को समय–समय पर यथा संशोधित हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा नियम, 1997 में यथा विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।

18. शिथिल करने की शक्ति.––जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्ही उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत शिथिल कर सकेगी ।

———————

[Authoritative English text of this Department Notification No. FDS-A(3)-3/ 2007 dated 15-02-2010 as required under clause (3) of article 348 of the constitution of India.].

FOOD, CIVIL SUPPLIES & CONSUMER AFFAIRS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 15th February, 2010

No. FDS-A(3)-3/2007.—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with H.P. Public Service

Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Assistant Registrar, Class-I (Gazetted) in Himachal Pradesh State Consumer Disputes Redressal Commission, Department of Food, Civil Supplies and Consumer Affairs as per Annexure "A" attached to this notification, namely:—

1. *Short title and Commencement.*—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh State Consumer Disputes Redressal Commission, Assistant Registrar, Class-I (Gazetted), Recruitment and Promotion, Rules, 2010.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

By order,
ANIL KHACHI,
Secretary.

Annexure-"A"

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF ASSISTANT REGISTAR, CLASS-I (GAZETTED), IN THE H.P. STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION

1. Name of the Post.—Assistant Registrar

2. Number of Post(s).—1(One)

3. Classification.—Class–I (Gazetted) (Ministerial Services)

4. Scale of Pay.—Rs.7880-220-8100-275-1030-340-11660

5. Whether Selection Post or non selection post.—Selection

6. Age for direct recruitment.—Not applicable

7. Minimum educational and other qualifications required for direct recruits.—**(a)** ***Essential Qualification***.—Not applicable.

(b) ***Desirable Qualification***.—Not applicable

8. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of the promotee(s) .—*Age.*—Not applicable.

Educational Qualifications.—Not applicable.

9. Period of Probation, if any.—Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

10. Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods.—100% By promotion.

11. In case by recruitment by promotion, deputation, transfer, grade from which promotion/deputation/transfer is to be made.—By promotion from amongst Superintendent Grade-I, Private Secretary and Reader (State Consumer Commission) who possess three years regular service or regular combined with continuous *ad hoc* service rendered, if, any, in the grade:

For the purpose of promotion a combined seniority list of eligible incumbents Superintendent Grade-I, Private Secretary and Reader (State Consumer Commission) without disturbing their *inter-se-seniority* shall be prescribed.

(1) In all cases of promotion, the continuous *ad hoc* service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the conditions that the *ad hoc* appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R&P Rules; Provided that;

In all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service rendered on *ad hoc* basis, followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior persons in the field of consideration:

Provided further that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least 3 years or that prescribed in the Recruitment and Promotion Rules for the post, whichever is less:

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him/her shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

Explanation.—The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be Ex-servicemen recruited under the provisions of Rule-3 of the Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority there under or recruited under the provisions of Rule-3 of the Ex-Servicemen (Reservation of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority thereunder.

(ii) Similarly, in all cases of confirmation continuous *ad hoc* service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment against such post shall be taken into account towards the length of service, if the *ad hoc* appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of R&P Rules:

Provided that *inter-se-seniority* as a result of confirmation after taking into account, *ad hoc* service rendered as referred to above, shall remain unchanged.

12. If a Departmental promotion Committee exists, what is its Composition.—As may be constituted by the Government from time to time.

13. Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.—As required under the law.

14. Essential requirements for a direct recruitment.—Not applicable.

15. Selection for appointment to the post by direct recruitment.—Not applicable.

16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes/Other Categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental Examination.—Every member of the service shall pass a Departmental Examination as prescribed in Himachal Pradesh departmental Examination Rules, 1997 as amended from time to time.

18. Power to relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of person(s) or post(s).

उद्योग विभाग

भौमिकीय शाखा

No.Udyog-Bhu(Khani-4)Laghu-92/2002- 2010

नीलामी सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जिला कांगड़ा की लघु खनिज खानों की नीलामी निम्नलिखित विवरण अनुसार की जानी है :–

दिनांक व समय	प्रस्तावित खाने जिन उपमण्डल में पड़ती है का नाम	नीलामी हेतू स्थल का नाम
26–3–2010 को 11.00 बजे	नूरपुर व ज्वाली	बचत भवन, नुरपूर
27–3–2010 को 11.00 बजे	पालमपुर, बैजनाथ व जयसिंहपुर	इण्डो–जरमन हॉल, पालमपुर
29–3–2010 को 11.00 बजे	कांगड़ा व धर्मशाला	जिला परिषद हॉल, धर्मशाला
30–3–2010 को 11.00 बजे	देहरा	बचन भवन, देहरा

इच्छुक व्यक्ति खानों के पूर्ण विवरण/शर्तों तथा खानों से सम्बन्धित अन्य जानकारी के लिए खनि अधिकारी कांगड़ा स्थित धर्मशाला से किसी भी कार्य दिवस में सम्पर्क करें या विभागीय Website www.himachal.nic.in/industry पर पूर्ण विवरण प्राप्त करें। लघु खनिज खानों जैसे रेत, पत्थर व बजरी की नीलामी 3 वर्ष के लिए वार्षिक बोली के आधार पर की जायेगी परन्तु खानों की बोली की स्वीकृति बोली राशि प्राप्ति के आधार पर प्रदेश सरकार की निम्नलिखित नीति के अनुसार प्रदान की जाएगी ।

1– जहां बोली पिछली बोली से 50 प्रतिशत से अधिक प्राप्त होती है –3 वर्ष

2– जहां बोली पिछली बोली से 20 से 50 प्रतिशत अधिक प्राप्त होती है –1 वर्ष

3– जहां बोली पिछली बोली से अधिक आती है पर 20 प्रतिशत से कम हो –3 माह

हस्ता0/–
आयुक्त उद्योग
हिमाचल प्रदेश।

Department of Industries
Geological Wing

No.Udyog-Bhu(Khani-4)Laghu-92/2002- 2010

Auction Notice

It is for the information of general public that the minor mineral quarries of District Kangra are being put to public auction on the following schedules:

Date & Time	Name of the Sub Divsion in which the proposed auction quarries falls	Venue of Auction
26.3.2010 at 11.00 A.M.	Nurpur & Jawali	Bachat Bhawan, Nurpur
27.3.2010 at 11.00 A.M.	Palampur, Baijnath & Jaisinghpur	Indo-German Hall, Palampur
29.3.2010 at 11.00 A.M.	Kangra & Dharamshala	Zila Parishad Hall, Dharamshala
30.3.2010 at 11.00 A.M.	Dehra	Bachat Bhawan, Dehra

The interested persons may contact the Mining Officer, Kangra at Dharamshala for detailed information/terms and conditions of the auction on any working day or the same can be downloaded from the Department **website www.himachal.nic.in/industry**. The auction of minor mineral quarries of Sand, Stone and Bajri shall be conducted for 3 years but approval of the bid shall be on the basis of the bid received as per State Govt. Policy given below:-

1. Where the bid exceeds the previous bid by more than 50% - 3 years
2. Where the bid exceeds the previous bid by more than 20% but does not exceed the previous bid by more than 50% - 1 year
3. Where the bid is more than previous bid but does not exceed more than 20%. - 3 months

sd/-

Commissioner Industries
Himachal Pradesh

*****

जिला कांगड़ा की लघु खनिज खानों का नीलामी प्रस्ताव

क0 सं0	खडड का नाम	नीलामी का क्षेत्र	लघु खनिज का नाम
उपमण्डल धर्मशाला:			
1	बनेर खड्ड–1	चामुण्डा माता मन्दिर से 500 मीटर नीचे की ओर छोड़कर बनेर व इकू खडड के संगम तक	रेत, बजरी व पत्थर
2	मनूनी खडड–1	स्यन पाईप फैक्टरी सुक्कड़ से 100 मीटर नीचे की ओर छोड़ कर छियारी व मनूनी खडड के संगम तक	–यथो–
3	मनूनी खडड–।।	मन्दल पुल से 200 मी0 नीचे की ओर छोड़कर नीचले व उपरले कोहाला गांव को जोड़ने वाले पैदल पुल तक	–यथो–
4	माझी खडड–1	निर्माणाधीन खन्यारा पुल से 200 मी0 नीचे की ओर छोड़कर माझी खडड पर बने दाड़ी पुल से 300 मी0 उपर तक ।	–यथो–
5	माझी खडड–।।	माझी खडड पर बने पुल से 500 मी0 नीचे की ओर छोड़कर गांव पासू को जाने वाले पैदल पुल शीला तक ।	–यथो–
उपमण्डल कांगड़ा :			
6.	बनेर खडड–।।	इकू व बनेर खडड के संगम से नीचे की ओर बलधर सड़क पर बने पुल से 200 मी0 उपर तक ।	–यथो–
7	बनेर खडड–।।।	बलधर सड़क पर बने पुल से 300 मी0 नीचे की ओर छोड़ते हुए सुनेहड़ के समीप राष्ट्रीय मार्ग पर बने पुल से 300 मी0 उपर तक ।	–यथो–
8	बनेर खडड–4	सुनेहड़ गांव के पास राष्ट्रीय मार्ग पर बने पुल से 300 मी0 नीचे की ओर छोड़कर टांडा मैडीकल कालेज को बनी W.S.S से 300 मी0 उपर तक ।	–यथो–
9	बनेर खडड–5	कांगड़ा मन्दिर रेलवे स्टेशन के पास बने पैदल चलने वाले पुल से नीचे की ओर बृजेशवरी घाट तक ।	–यथो–
10	बनेर खडड–6	जलाडी W.S.S से 300 मी0 नीचे की ओर छोड़कर जलाडी व खर्ट गांव को जोड़ने वाले प्रस्तावित पुल से 200 मी0 उपर तक ।	–यथो–
11	जोगल खडड(गसाल)	मैडी गांव से नीचे की ओर मसाल रोड़ पर बने पुल से 200 मी0 उपर तक	–यथो–
12	वाथू खडड बॅदू	मालनू–नेरा–ठम्बा W.S.S से 200 मी0 नीचे की ओर छोड़ते हुए लूहना–रीहड़ी के प्रस्तावित पुल तक ।	–यथो–
13	मनूनी खडड–।।।	सगीरपुर गांव के पास माझी खडड पर बने पुल से 300 मी0 नीचे की ओर छोड़कर नन्दरूल पुल तक ।	–यथो–
14	गज खडड–।	श्री विजय कुमार के खनन क्षेत्र को छोड़कर W.S.S स्पेल(कलरू) से 200 मी0 उपर तक	–यथो–
15	गज खडड–।।	गज खडड व चम्बी खडड के संगम से नीचे की ओर बल्ला गांव के पास गजखडड पर बने पुल से 200 मी0 उपर तक ।	–यथो–

16	द्रूँ खडड (मोल)	तंगरोटी शमशान घाट से 100 मी0 नीचे की ओर छोड़कर पंजबुली तक ।	–यथो–
उपमण्डल पालमपुर :			
17	लिगंटी खडड	नगरी–बगौड़ा पुल से 200 मी0 नीचे की ओर छोड़कर लटवाला पुल से 200 मी0 उपर तक ।	–यथो–
18	आवा खडड–।(बनोड़ू)	चन्दपुर से आवा खडड पर बने बनोड़ू पुल से 200 मी0 उपर तक ।	–यथो–
19	आवा खडड–।।	बनोड़ू पुल से नीचे की ओर 200 मी0 छोड़कर आवा खडड पर बने पुल चथम्मी से 200 मी0 तक ।	–यथो–
20	आवा खडड–।।।	चथम्मी पुल से 200 मी0 नीचे की ओर छोड़कर नागटा पुल से 200 मी0 उपर तक ।	–यथो–
21	आवा खडड–V	रक्कड़ पुल से 200 मी0 नीचे की ओर छोड़कर रजोट गांव के पास बने पुल से 200 मी0 उपर तक ।	–यथो–
22	आवा खडड– VI	राजोट पुल से 200 मी0 नीचे की ओर छोड़कर बिनवा व आवा खडड के संगम तक ।	–यथो–
23	मौल खडड–।	साई मोरला गांव से नीचे की ओर भोड़ा पुल के 200 मी0 तक ।	–यथो–
24	मौल खडड–।।।	चांदड़ होला पुल से 200 मी0 नीचे की ओर छोड़कर ढाटी पुल के 200 मी0 उपर तक ।	–यथो–
25	मौल खडड– IV	भनू W.S.S से 300मी0 नीचे की ओर छोड़कर मौल खड्ड पर प्रस्तावित बन्द्रांहू बैर घट्टा पुल से 200 मी0 उपर तक ।	–यथो–
26	जमेड़ खडड	ठरकेहड से नीचे की तरफ चौकी जनेड़ खडड पर बने पुल से 200 मी0 उपर तक	–यथो–
27	बोखड्डी(सुकाड)	सकट गांव से नीचे की तरफ क्यारवां बोखड्डी खडड में निर्माणाधीन पुल से 200 मी0 उपर तक।	–यथो–
उपमण्डल जयसिंहपुरः			
28	सुकाड खडड–।।	नाहलना पुल से 200 मी0 नीचे की ओर छोड़कर भटवारा पुल से 200 मी0 उपर तक ।	–यथो–
29	ब्यास नदी–1	हारसीपतन से चम्बी तक (श्री बलवीर सिंह का खनन पटटा क्षेत्र छोड़कर)	–यथो–
30	ब्यास नदी–2	कुटाहन से नीचे की ओर हरोटी खडड व ब्यास नदी के संगम तक ।	–यथो–
31	ब्यास नदी–3(लम्बा गांव)	ब्यास नदी व हरोटी खडड के संगम से दरालूं गांव तक ।	–यथो–
32	ब्यास नदी–4(आलमपुर)	सकोह गांव से आलमपुर सुजानपुर पुल से 200 मी0 उपर तक ।	–यथो–
33	हरोटी खडड(हरोट)	हड़ोट पुल से 200 मी0 नीचे की ओर छोड़कर हरोटी पुल से 200 मी0 उपर तक ।	–यथो–

उपमण्डल बैजनाथः			
34	पुन खडड–।	बीथी खडड व पुन खडड के संगम से नीचे की ओर पुन खडड पर बने पुल से 200 मी0 उपर तक ।	–यथो–
35	पुन खडड–।।	पुन खडड पुल से 200 मी0 नीचे की ओर छोड़कर बिनवा व पुन खडड के संगम तक	–यथो–
36	सन्साल खडड	सन्साल बीड़ रोड़ पुल से 200 मी0 नीचे की ओर छोड़कर निर्माणा धीन विद्युत प्रोजैक्ट से 500 मी0 उपर तक ।	–यथो–
37	भटवाली खउड	भटट गांव के पास बने रेलवे पुल से 200 मी0 नीचे की ओर छोड़कर भटवाली पुल से 200 मी0 उपर तक ।	–यथो–
38	बिनवा खडड–।	फताहर गांव को जोड़ने वाले पैदल चलने वाले पुल से 100 मी0 नीचे की ओर छोड़कर कयोग चश्मे तक ।	–यथो–
39	बिनवा खडड–।।	रेलवे पुल पपरोला से 200 मी0 नीचे की ओर छोड़कर बिनवा व पुन खडड के संगम तक ।	–यथो–
40	बिनवा खडड–।।।	पुन व बिनवा खडड के संगम से नीचे की ओर आवा खडड व बिनवा खडड के संगम तक ।	–यथो–
41	बिनवा खडड–IV	वावा काठक से नीचे की तरफ चौबू पुल से 200 मी0 उपर तक ।	–यथो–
42	बिनवा खडड– V	श्री सुशील कुमार के खनन पटटा क्षेत्र को छोड़कर ग्वाल पुल से 200 मी0 उपर तक।	–यथो–
43	बिनवा खडड– VI	ग्वाल पुल से 200 मी0 नीचे की ओर छोड़कर डन्ढोल पुल से 200 मी0 उपर तक।	–यथो–
44	बिनवा खडड–VII	डन्ढोल पुल से भड़ोल से 200 –200 मी0 छोड़कर जिला कांगड़ा का क्षेत्र।	–यथो–
45	बिनवा खडड–VIII	सन्साई से ब्यास व बिनवा खडड के संगम तक जिला कांगड़ा का क्षेत्र।	–यथो–
उपमण्डल देहराः			
46	बनेर खडड	विपल से नीचे की ओर हरीपुर वासा गांव तक।	–यथो–
47	नकेड़ खडड–।	लगडू गांव से लेकर वालू गलोआ पुल से 300 मी0 उपर की तरफ।	–यथो–
48	नकेड़ खडड–II	सलेहड़ गांव से मरेहड़ा गांव पुल के उपर की ओर 200 मी0 छोड़कर।	–यथो–
49	नकेड़ खडड–।।।	मरेहड़ा पुल से नीचे की ओर 200 मी0 छोड़कर ज्वालाजी. देहरा मार्ग पर बने पुल से 200 मी0 उपर की तरफ ।	–यथो–
50	ब्यास नदी भरोड़ी–।	भड़ोली ब्यास नदी पर बने पुल से 200 मी0 नीचे की ओर छोड़कर कुटियारा गांव की W.S.S से 200 मी0 उपर तक (दांया किनारा)।	–यथो–
51	ब्यास नदी–।।	कुटियारा गांव की W.S.S से 200 मी0 नीचे की ओर छोड़कर अधवानी गांव की अग्रिम सीमा तक (दांया किनारा)।	–यथो–
52	ब्यास नदी–।।।(चामुखा)	मसेह खडड व ब्यास नदी के संगम से नीचे की ओर नीचले कूहला की अग्रिम सीमा तक ब्यास नदी का (बांया किनारा)।	–यथो–

53	कलोहा	कलोहा पुल से 200 मी0 नीचे की ओर छोड़कर सडंवा गांव की अन्तिम सीमा तक ।	–यथो–
54	नक्की खडड	लग वटयाणा से लेकर परागपुर गरली सड़क पर बने काजवे से 200 मी0 ऊपर तक।	–यथो–
55	कड़ोआ खडड	कड़ोआ गांव से नीचे की ओर जबंल वसी सुनेहत सड़क से 100 मी0 उपर की तरफ ।	–यथो–
56	बढल–ढौर खड्ड	बैढोटां गांव से लेकर जवंल वसी मार्ग से 100 मी0 उपर तक ।	–यथो–
57	चनौर खड्ड	बाथू टिप्परी से नीचे की ओर जवंल वसी ढाडा–सिवा मार्ग से उपर की ओर ।	–यथो–
उपमण्डल नूरपुरः			
58	जब्बर खड्ड	कोवड़ा गांव से नीचे की ओर नागाबाड़ी पुल तक श्री आर.के.महाजन का खनन पट्टा क्षेत्र छोडकर ।	–यथो–
59	हरड़ खड्ड	W.S.S खज़न से 200 मी0 नीचे की ओर छोड़कर लेतरी गांव के पास पैदल चलने वाली पुली तक ।	–यथो–
60	गरेली खड्ड	वासा गांव पुल से 200 मी0 नीचे की ओर छोड़कर जसूर पुल से 200 मी0 उपर तक ।	–यथो–
उपमण्डल ज्वालीः			
61	वराहल खड्ड(भाली)	बराहल खड्ड पर बने पुल से 200 मी0 नीचे की ओर छोड़कर हनुमान मन्दिर त्रिलोकपुर में बराहल खड्ड व डेहर खडड के संगम तक ।	–यथो–
62	भेड़ खडड	भेड़ खड्ड राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर बने पुल से नीचे की ओर 200 मी0 छोड़कर डेहर खड्ड व भेड़ खडड के संगम तक ।	–यथो–
63	देहर खड्ड–1	श्रीयुत शिवशक्ति स्टोनक्रशर के नाम स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र की अग्रिम सीमा से नीचे की ओर सिद्वाती नहर के डैम से 500 मी0 उपर तक ।	–यथो–
64	देहर खड्ड–।।	सिद्वार्ता नहर के डैम से 500 मी0 नीचे की ओर छोड़कर कुठेड़ ज्वाली मार्ग पर बने पुल से 200 मीटर उपर व नीचे छोड़कर श्री जितेन्द्र गुलेरिया के नाम पूर्व स्वीकृत खनन पटटा क्षेत्र की सीमा तक ।	–यथो–
65	जखवड़ खड्ड	रे–बडूखर साड़क पर जखबड़ खडड पर बने पुल से 200 मी0 नीचे की ओर छोड़कर जखवड़ खडड व ब्यास नदी के संगम तक ।	
66	ब्यास नदी टटवाली (दांया किनारा)	किश्ती पतन रे से नीचे की ओर शाह नहर से 200 मी0 उपर तक ।	खसरा न0 434, 670 मोहाल बेधली मौजा भड़ोली को छोड़कर
67	राजगीर खड्ड	बडूखर–इन्दौरा सड़क के राजगीर खडड पर बने पुल से 200 मी0 नीचे की ओर छोड़कर राजगीर खडड व व्यास नदी के संगम तक ।	

नीलामी निम्नलिखित शर्तो के आधार पर की जाएगी।

1– नीलामी के नियम व शर्तें हिमाचल प्रदेश लघु खनिज रियायत संशोधित नियमावली, 1971 के अनुसार नीलामी स्थल पर उद्घोषित की जाएगी।

2– बोली प्रतिवर्ष के आधार पर दी जाएगी ।

3– कोई भी व्यक्ति जो बोली देने के इच्छुक हो, पीठासीन अधिकारी के पास 5000/–रूपये धरोहर राशि बैंक ड्राफट जोकि खनि अधिकारी, धर्मशाला के नाम देय हो जमा करायेगा । बैंक ड्राफट के पीछे बोली दाता का नाम लिखा होना चाहिए । जमा ड्राफट, बोली समाप्त होने पर बोलीदाताओं को वापिस कर दिया जाएगा । नीलामी कमेटी किसी विशेष परिस्थिति में धरोहर राशि बढ़ा सकती है।

4– यदि कोई बोलीदाता किसी लधु खनिज खान की बोली दें, परन्तु वांछित राशि उसी समय जमा न करें या बोली देने के उपरान्त भाग जाये, उस स्थिति में उस द्वारा जमा की गई अग्रिम धरोहर धन राशि जब्त की जायेगी और भविष्य में कम से कम 3 वर्ष के लिए प्रदेश में किसी भी स्थान पर ऐसा व्यक्ति बोली न दे सकेगा तथा उसी समय उक्त उत्खनी को पुनः नीलाम कर दिया जाएगा।

5– जिन खानों को नीलामी हेतू अधिसूचित किया गया है उनके खसरा नं0 या फिर सीमा चिन्हों की जानकारी, इच्छुक व्यक्ति/बोलीदाता सम्बन्धित खनि अधिकारी से प्राप्त कर सकता है। बोली केवल उसी क्षेत्र की होगी, जो कि खनि अधिकारी ने प्रस्तावित किये हैं जिसका पूर्ण विवरण खनि अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।

6– नदी/खड्डों की नीलामी प्राकृतिक व अन्य चिन्हों के आधार पर की गई है तथा नदी/खड्ड का वह क्षेत्र इन्हीं चिन्हों के मध्य ही नीलामी के लिए, जहाँ है जैसा है के आधार पर इस शर्त पर प्रस्तावित किया गया है कि अगर प्रस्तावति चिन्हों के मध्य में कोई वन भूमि है तो प्रार्थी को वन विभाग का अन्नापति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। इसके अतिरिक्त यदि प्रस्तावित चिन्हों के मध्य किसी व्यक्ति की नीजि भूमि आती हो तो उच्चतम बोलीदाता को उपरोक्त क्षेत्र में खनन करने के लिए प्रवेश करने से पूर्व नीजि भूमि मालिक से अन्नापति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। यदि कोई नीजि भूमि मालिक उच्चतम बोलीदाता के अतिरिक्त किसी अन्य के पक्ष में अन्नापति प्रमाण पत्र देता है तो वह अन्नापति मान्य नहीं होगी, और नीजि भूमि मालिक को उस क्षेत्र में खनन की अनुमति नहीं दी जाएगी क्योंकि ऐसे समस्त निलाम क्षेत्र के खनिज अधिकार उच्चतम बोली दाता के पक्ष में दिए गये हैं ।

7– बोलीदाता, बोली देने से पहले यदि चाहे तो वे अपने हित में सूचि में अधिसूचित खानों का निरीक्षण कर सकते है ।

8– पीठासीन अधिकारी को अधिकार दिये गये है कि वह राजस्व एवम् जनहित में विभिन्न खानों का एक समूह या एक खान के छोटे–छोटे भाग बिना बताये कर सकता है। इसमें सभी इच्छुक बोलीदाता के सुझाव लिए जा सकते हैं ।

9– बोलीदाता किसी भी जिला में खनन से सम्बन्धित देय राशि का बकायादार नही होना चाहिए। यदि कोई बोलीदाता जो विभाग के बकायादार होने में दोषी पाया जाये तो उसे नीलामी में भाग लेने की अनुमति नही दी जायेगी। यदि बकायादार, नीलामी के मध्य बकाया राशि को जमा कर दें तो उस अवस्था में वह नीलामी में भाग ले सकेगा। यदि कोई बकायादार व्यक्ति कोई खान बोली पर ले लेता है, जिसका विभाग को बाद में ज्ञान हो जाए तो उस अवस्था में उस व्यक्ति द्वारा जमा राशि बकाया राशि में समायोजित की जाएगी और खान को पुनः नीलाम किया जाएगा ।

10– रेत, पत्थर व बजरी आदि की लधु खनिज खानों की अधिकतम अवधि 3 वर्ष होगी तथा स्लेट खानों के मामले में अधिकतम अवधि 5 वर्ष होगी।

11– उत्खनी के बोली समाप्त होते ही वांच्छित राशि उच्चतम बोली दाता को पीठासीन अधिकारी के पास निम्न तरीकों से जमा करनी होगी । (i) जहां पर बोली राशि 1000/–रूपये प्रतिवर्ष की दर से अधिक होगी उस अवस्था में उच्च बोलीदाता बोली की 25 प्रतिशत राशि प्रतिभूति राशि के तौर पर तथा बोली की 25 प्रतिशत राशि पहली

किश्त के रूप में जमा करवायेगा। विक्री कर भी उक्त राशि के अतिरिक्त उसी समय जमा करवाना पड़ेगा। प्रतिभूति राशि एफ0डी0आर के रूप में ली जाएगी । (ii) जहाँ बोली 1000/–रू0 से कम होगी वहाँ समस्त वार्षिक राशि एक मुश्त जमा करानी होगी तथा उसके अतिरिक्त 25 प्रतिशत प्रतिभूति राशि एवम् अन्य कर जमा कराने होंगे ।

12– सरकार को अधिकार है कि वे उच्चत्म बोली को बिना किसी कारण बताये स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है।

13– सरकार को अधिकार है कि वे ठेके की अवधि बढ़ा या घटा सकती है।

14– कोई भी खनन कार्य राष्ट्रीय उच्च मार्ग राज्य मार्ग से 60 मी0 व लिंक रोड़ से 50 मी0 की दूरी तक नहीं किया जाएगा तथा अन्य शर्तें सरकार द्वारा दिनांक 28.2.2004 को अधिसूचित रिवर/स्ट्रीम वैड माईनिंग पॉलिसी के अनुरूप होगी। अधिसूचना की प्रति खनि अधिकारी से प्राप्त की जा सकती है। नीलामी के मध्य नीलामी कमेटी यदि कोई अन्य शर्त उद्घोषित करे वह भी मान्य होगी ।

15– बोली के दौरान यदि कोई बोलीदाता दुर्व्यवहार करे तो पीठासीन अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह उस द्वारा जमा की गई अग्रिम धरोहर राशि जब्त करते हुये उसे बोली में हिस्सा लेने के लिए आयोग्य घोषित कर सकता है।

16– बोली केवल उसी अवस्था में स्वीकार होगी यदि बोली की स्वीकृति सरकार या अन्य किसी दूसरे सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत कर ली जाती है । स्वीकृति तिथि तथा नीलामी तिथि के समय अवधि में उच्च बोलीदाता को, बोली के अनुपात में अतिरिक्त राशि जमा करवाने पर अल्प अवधि परमिट लेना होगा। यदि उच्च बोलीदाता परमिट न ले तो उस अवस्था में किसी दूसरे इच्छुक व्यक्ति को बोली के अनुपात में परमिट प्रदान किया जाएगा और बोलीदाता की उस पर कोई आपत्ति मान्य न होगी।

17– नीलामी के लिए अधिसूचित लघु खनिज़ खानों का क्षेत्र अधिसूचना में दर्शाया गया ही मान्य होगा। इसके अतिरिक्त खानों के स्थित नक्शे/राजस्व रिकार्ड जो सम्बन्धित खनि अधिकारी/ महाप्रबन्धक उद्योग केन्द्र के पास होंगे, उन पर दर्शाया गया क्षेत्र ही अधिसूचित लघु खनिज़ खानों का क्षेत्र मान्य होगा।

18– यदि नीलाम की गई लघु खनिज़ खानों का ठेका निलामी के समय चल रहा है तो निलाम की गई खान का कब्ज़ा उसी अवस्था में दिया जायगा जब वर्तमान ठेके की अवधि समाप्त होगी।

19– बोली में हिस्सा लेने वाले बोलीदाता, बोली के मध्य अपनी आपत्ति उठा सकते हैं। बोली समाप्त होने पर किसी प्रकार की आपत्ति पर सुनावाई नहीं की जाएगी।

20– सम्बन्धित ठेकेदार को हिमाचल प्रदेश लघु खनिज़ संशोधित नियमावली, 1971 के नियम–33 के अन्तर्गत स्वीकृति आदेश प्राप्त होने की तिथि से तीन माह के भीतर शर्तनामें पर हस्ताक्षर करने होंगे। यदि शर्तनामे पर हस्ताक्षर करने में ठेकेदार उस अवधि के मध्य असफल रहे, तो उस अवस्था में ठेका रद्द समझा जाएगा तथा उस द्वारा जमा करवाई गई प्रतिभूति राशि एवं अग्रिम किश्त की राशि जब्त कर ली जाएगी।

21– जहाँ–जहाँ भी स्पेन द्वारा खनिज़ों की ढुलाई करने की आवश्यकता हो उस अवस्था में स्पेन का अलाईनमैंट को ठेकेदार द्वारा विभाग से अनुमोदित करवाना आवश्यक होगा तथा स्पेन रंगीन रंग से चिन्हित करना होगा ताकि वह दूर से नज़र आये। जहाँ आवश्यकता हो, इसकी अनुमति वन विभाग से लेनी पड़ेगी। इसके लिए बने अधिनियम के प्रावधानों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा।

22– खनन कार्य यदि वैज्ञानिक व सुव्यवस्थित (खनन मापदण्डों के अनुरूप) ढंग से नहीं किया गया तो उस अवस्था में ठेका रद्द कर दिया जाएगा तथा धरोहर राशि सरकार में समायोजित कर ली जाएगी ।

23– पर्यावरण के हित में जहाँ सम्भव हो या विभाग द्वारा दर्शाया जाये वहां ठेकेदार द्वारा पौधारोपण व अन्य भू–स्खलन को रोकने के लिए Engineering Structure लगाने होंगे तथा ऐसा न करने पर विभाग द्वारा जमानत राशि से यह काम कराया जाएगा तथा ठेकेदार को उतनी मात्रा की अलग से जमानत राशि जमा करानी होगी ।

24– उक्त के अतिरिक्त विभाग के किसी अधिकारी द्वारा यदि कोई शर्तें पर्यावरण के संतुलन हेतू लगाई जाएं तो ठेकेदार उनको मानने के लिए वाध्य होगा।

25– उच्चतम बोलीदाता सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित् किए गए विक्री कर व अन्य कर देने के लिए वाध्य होगा।

26– नीलामी समिति को अधिकार है कि वे नीलामी के समय किसी विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अलग से शर्तें लगा सकते हें जो सभी बोलीदाताओं को मान्य होगी तथा नीलामी आरम्भ होने से पूर्व इनकी घोषणा की जाएगी इसके अतिरिक्त खानों के बारे जो दिशा निर्देश सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए जायेंगे वे भी सभी को मान्य होंगे।

27– नीलाम–शुदा क्षेत्र में उच्चतम बोलीदाता खनन करते हुए इस बात का पूर्ण ध्यान रखेगा कि उनके द्वारा किए गये खनन कार्य से भूमि कटाव न हो और नदी का वास्तविक बहाव न बदले। खडड़ों/नालों के तटटों को तोड़ना एक गम्भीर अपराध माना जाएगा तथा ऐसी अवस्था में ठेका रद्व कर दिया जाएगा तथा अमानत राशि सरकार में निहित कर ली जाएगी ।

28– जनहित में यदि आवश्यक हो तो किसी भी नीलाम की गई खान के भाग को कम किया जा सकता है या खान को पूर्णरूप से भी बन्द किया जा सकता है। क्षेत्र कम करने की अवस्था में रॉयल्टी भी उसी अनुपात में कम की जाएगी।

29– खनन हेतू मशीन उपकरण जैसे जे0सीबी0, पोकलेन इत्यादि का प्रयोग नियमानुसार निदेशक उद्योग हि0 प्र0 की पूर्व लिखित अनुमति से ही किया जा सकता है ।

30– उपरोक्त चिन्हों के मध्य खनन कार्य निम्नलिखित क्षेत्रों में वर्जित होगा:

- वन या किसी अन्य विभाग द्वारा भू–संरक्षण के लिए लगाये गए चैक डैम इत्यादि, पौधारोपण, नर्सरी इत्यादि से 75 मीटर की दूरी तक।
- नदी/खड्ड के तट से (दोनों तरफ) 5मीटर या फिर नदी/खड्ड की चौड़ाई का पांचवॉ हिस्सा जो भी अधिक हो, तक।
- पेयजल योजना या सिचाई योजना के 200 मीटर ऊपर व 200 मीटर नीचे तक के स्थल पर।
- पुल के 200 मीटर ऊपर व 200 से 500 मीटर नीचे तक।

31– नदी/खड्ड में पहुँचने के लिए मुख्य सड़क से रास्ता बनाने हेतू उच्चतम बोलीदाता को अधिशाषी अभियन्ता (लो0नि0वि0) से अनुमति प्राप्त करनी होगी।

32– पत्थर व हाथ से तोड़ी गई रोड़ी को राज्य की सीमा से बाहर ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

33– उच्चतम बोलीदाता को सुनिशिचत् करना होगा कि उसके द्वारा लगाए गये मज़दूर, नदी/खड्ड में मछलियों का शिकार न करें।

34– खनन कार्य नदी के धरातल से 3 फुट से अधिक गहराई में नहीं किया जाएगा, तथा किसी भी अवस्था में 3 फुट के गहरे गढढे करने की अनुमति नहीं होगी।

35– उप–मण्डल स्तर पर गठित कमेटी द्वारा हर वर्ष खनन कार्य का पुर्नरीक्षण(Review) किया जाएगा तथा अवव्यवस्थित खनन् करने पर ठेका रद्व कर दिया जायेगा तथा जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी ।

36– उप मण्डल स्तर पर गठित समिति द्वारा अनुमोदित क्षेत्र ही नीलाम किया जाएगा, जिसका विस्तृत रिकार्ड सम्बन्धित खनि अधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध है ।

37— उत्खनियों की उच्चतम बोली के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा नीति निर्देशों के अनुसार मुल्यांकन करने पर ठेके की अवधी तय की जाएगी ।

38— यदि नीलामी के लिए प्रस्तावित की गई खड्ड का हिस्सा संयुक्त निरीक्षण कमेटी द्वारा स्टोन कशर इकाई की आपूर्ति के लिए खनन पट्टा पर प्रदान करने के लिए निलामी अधिसूचना जारी होने से पूर्व अनुमोदित किया जा चुका हो तो उस अवस्था में खड्ड का वह भाग अथवा क्षेत्र, नीलामी क्षेत्र का भाग नहीं होगा। ऐसे क्षेत्रों बारे जानकारी सम्बन्धित खनि अधिकारी से नीलामी तिथि से पूर्व या नीलामी के समय प्राप्त की जा सकती है ।

39— नीलाम किये जा रहे क्षेत्रों में पत्थरों इत्यादि की तोड़ाई के लिए मारतोड़ (घण) व छैणी का बिल्कुल प्रयोग नहीं किया जायेगा और केवल हाथों द्वारा उन्हीं खनिजों को उठाया जायेगा जोकि बहकर आये होंगे तथा नीलाम किए गये क्षेत्रों में भावी ठेकेदार खनन करने से पहले पुलों व सिंचाई स्कीमों से निर्धारित सुरक्षित दूरी रखकर सीमा स्तम्भ लगायेंगे जिसका सत्यापन विभागीय कर्मचारियों द्वारा किया जायेगा ।

******

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित